पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 1893

पलक भारती आलोक कुमार राम की पत्नी, ग्राम-सिकताउल, डाकघर- हरपुर, थाना-चौतरवा, जिला-पश्चिम चंपारण, मुखिया, ग्राम पंचायत- कोलहुआ चौतरवा, थाना चौतरवा, ब्लॉक-बगहा-1, जिला- पश्चिम चंपारण।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला दंडाधिकारी, बेतिया, जिला-पश्चिम चंपारण।
3. अनुमंडल अधिकारी, नरकटियागंज, जिला-पश्चिम चंपारण।
4. उप निर्वाचन अधिकारी पंचायत-सह-जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला-पश्चिम चंपारण।
5. राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत, सोन भवन, बीर चंद पटेल, बिहार पटना ने राज्य के माध्यम से
6. राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयोग पंचायत, सोन भवन, बीर चंद पटेल
7. सचिव, राज्य चुनाव आयोग पंचायत, सोन भवन, बीर चंद पटेल, बिहार, पटना
8. उप सचिव, राज्य चुनाव आयोग, पंचायत, सोन भवन, बीर चंद पटेल, बिहार
9. नन्द किशोर राम, स्व. रंजीत राम के पुत्र, निवासी- गाँव- कोल्हुआ, चौतरवा भाया राम नगर, ब्लॉक-बगहा-1, जिला- पश्चिम चम्पारण
10. अंचलाधिकारी, गौनाहा, जिला-पश्चिम चंपारण, बेतिया।

.....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136(2) के तहत अयोग्य घोषित किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता में चुनाव लड़ा और मुखिया चुना गया अनुसूचित जाति के महिला सीट पर याचिकाकर्ता के पिता थारु जाति से है जो अनुसूचत जन जाति श्रेणी में आते है और उनकी माँ अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती हैं, ऐसी परिस्थिति में याचिकाकर्ता अनुसूचित जन जाति श्रेणी में आयेंगे क्योंकि बच्चे की जाति का निर्धारिण उनके पिता के जात के आधार पर निधारित किया जाता है। ऐसा मानते हुए कि उसके पिता उसकी माँ के साथ रहते थे जो अनुसूचि जाति की श्रेणी में आती हैं। इसलिए उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में विचार करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार याचिकाकर्ता उस सीट के लिए नामांकन दाखिल करने का हकदार नहीं था, जो अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरिक्षित है। जिला प्रशासन के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रदान करने के बाद आयोग ने याचिकाकर्ता सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद माना कि वह अनुसूचित जन जाति श्रेणी से हैं और इसलिए अनुसूचित जाति महिला सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती थी। याचिका खारिज कर दी गई।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 1893

पलक भारती आलोक कुमार राम की पत्नी, ग्राम-सिकताउल, डाकघर- हरपुर, थाना-चौतरवा, जिला-पश्चिम चंपारण, मुखिया, ग्राम पंचायत-कोलहुआ चौतरवा, थाना चौतरवा, ब्लॉक-बगहा-1, जिला-पश्चिम चंपारण।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला दंडाधिकारी, बेतिया, जिला-पश्चिम चंपारण।
3. अनुमंडल अधिकारी, नरकटियागंज, जिला-पश्चिम चंपारण।
4. उप निर्वाचन अधिकारी पंचायत-सह-जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला-पश्चिम चंपारण।
5. राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत, सोन भवन, बीर चंद पटेल, बिहार पटना ने राज्य के माध्यम से
6. राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयोग पंचायत, सोन भवन, बीर चंद पटेल
7. सचिव, राज्य चुनाव आयोग पंचायत, सोन भवन, बीर चंद पटेल, बिहार, पटना
8. उप सचिव, राज्य चुनाव आयोग, पंचायत, सोन भवन, बीर चंद पटेल, बिहार
9. नन्द किशोर राम, स्व. रंजीत राम के पुत्र, निवासी- गाँव- कोल्हुआ, चौतरवा भाया राम नगर, ब्लॉक- बगहा-1, जिला- पश्चिम चम्पारण
10. अंचलाधिकारी, गौनाहा, जिला-पश्चिम चंपारण, बेतिया।

.....उत्तरदातागण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से:	श्री रोहित कुमार त्रिपाठी,
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 9:	श्री विजय कुमार सिंह, अधिवक्ता,
राज्य की ओर से:	श्री प्रेम रंजन राय, एससी 7 के सहायक सलाहकार
चुनाव आयोग की ओर सेः	श्री संजीव निकेश, अधिवक्ता
	श्री गिरीश पांडे, अधिवक्ता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

सी.ए.वी. निर्णय

तिथि: 05-07-2023

पक्षों को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी हैः

(i) प्रतिवादी-राज्य चुनाव आयुक्त, बिहार द्वारा पारित दिनांकित 08.01.2018 आदेश को रद्द करने के लिए 2017 की मामला संख्या 65 जिसके द्वारा उन्होंने याचिकाकर्ता को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (जिसे अबसे संक्षेप में 2006 अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 136 (2) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है और प्रतिवादी जिला मजिस्ट्रेट/दंडाधिकारी पश्चिम चंपारण, बेतिया को याचिकाकर्ता को जारी जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का भी निर्देश दिया है।

(ii) आगे की प्रार्थना एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए है जो दिनांकित 08.01.2018 आदेश के संचालन पर रोक लगाता है और प्रतिवादी जिला मजिस्ट्रेट को इस रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने से भी रोकता है।

3. रिट याचिका को जन्म देने वाले तथ्यों का मैट्रिक्स नीचे दिया गया हैः

4. याचिकाकर्ता पलक भारती ने अनुसूचित जाति महिला सीट पर पश्चिम चंपारण जिले के ब्लॉक-बगाहा-1 में ग्राम पंचायत राज कोल्हुआ चौतरवा से चुनाव लड़ा और "मुखिया" चुनी गईं।

5. एक नंद किशोर राम (उत्तरदाता सं. 9) राज्य चुनाव आयुक्त, बिहार, पटना के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है क्योंकि वह बुधाई महतो की बेटी है, जो 'थारू' जाति से है जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आती है।

6. राज्य चुनाव आयुक्त ने उक्त शिकायत को जिला मजिस्ट्रेट/दंडाधिकारी पश्चिम चंपारण को 02.03.2016 को भेजा और मामले पर एक रिपोर्ट/प्रतिवेदन मांगी (रिट याचिका के लिए अनुलग्नक-3 श्रृंखला)।

7. तत्पश्चात् जिला दंडाधिकारी, पश्चिम चंपारण ने अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण को पत्र संख्या 364/पंचायत/बेतिया दिनांक 30.06.2017 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

8. इसके अनुसार, जांच की गई और अंचलाधिकारी गौनाहा ने पत्र सं. 1169 दिनांक 18.09.2017 द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के पिता, अर्थात्, बुधाई महतो 'थारू' जाति से हैं जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आती है। अंचलाधिकारी, गौनाहा द्वारा आगे यह सूचित किया गया कि एक व्यक्ति का जाति विचार पिता की जाति के आधार पर होता है।

9. उक्त प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा पत्रांक 465 दिनांक 18.10.2017 के माध्यम से इस आधार पर अग्रेसित की गई कि समान्यतः किसी व्यक्ति की जाति उसके पिता की जाति के आधार पर निर्धारित की जाती है।

10. कलेक्टर, पश्चिम चंपारण, बेतिया ने इसके बाद पत्र सं. 126/पंचायत दिनांक 24.10.2017 ने अपनी रिपोर्ट संयुक्त सचिव, राज्य चुनाव आयुक्त को सूचित किया गया कि अनुमंडल अधिकारी, नरकटियागंज, भूमि सुधार उप-कलेक्टर, नरकटियागंज की जांच रिपोर्ट आवश्यक

कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग (अब से संक्षिप्त में 'आयोग') ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं. 9 को सूचना/ नोटिस पर रखा और 2017 के मामले संख्या 65 में कार्यवाही प्रारंभ की।

11. 08.01.2018 पर, एक तर्कपूर्ण आदेश के माध्यम से, 'आयोग' इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता के पिता, बुधाई महतो 'थारू' जाति से हैं जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आती है। तदनुसार, याचिकाकर्ता (पलक भारती) की जाति भी अनुसूचित जनजाति ('थारू' जाति) की होगी। इस प्रकार, महिला अनुसूचित जाति सीट पर मुखिया के पद के लिए उनका चुनाव वैध नहीं है।

12. इस प्रकार, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत '2006 अधिनियम' की धारा 136 (2) के तहत याचिकाकर्ता को पश्चिम चंपारण जिले के ब्लॉक-बगहा-1 में ग्राम पंचायत राज कोल्हुआ चौतरवा के 'मुखिया' के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया और सीट को खाली घोषित कर दिया गया।

13. इसके साथ ही, जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला चुनाव अधिकारी (पंचायत), पश्चिमी चंपारण को भी याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र(रिट याचिका का अनुलंनक-8) को रद्द करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया।

14. व्यथित होकर, रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका की प्राथमिकता दी गई।

15. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

16. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला यह है कि उसकी माँ, इंदु देवी, जो अनुसूचित जाति श्रेणी से ताल्लुक रखती हैं, के बुधाई महतो के साथ विवाह के बाद, उसके पिता अपनी पत्नी के स्थान पर चले गए, जहाँ दो बच्चों, अर्थात्, मुन्नी कुमारी और पलक भारती (याचिकाकर्ता) का जन्म हुआ और तदनुसार सभी दस्तावेजों में उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में दिखाया गया था।

17. यह उनका आगे का निवेदन है कि अंचल अधिकारी के पत्र सं 1675 दिनांकित 08.12.2016 'गौनाहा' को पिता के निवास के रूप में दिखाया गया है और याचिकाकर्ता के पति का निवास पश्चिम चंपारण जिले के ब्लॉक-बगाहा-1 में कोल्हुआ चौतरवा में है, जहाँ से वह चुनी गई थी।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील/अधिवक्ता द्वारा जो आधार लिया गया है, वह यह है कि चूंकि 'थारू' जाति (अनुसूचित जनजाति) से संबंधित अपने पिता के साथ उसकी माँ की शादी को 'थारू' जनजाति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए उसने अपनी माँ के साथ अनुसूचित जाति कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया, जिसे बुधई महतो के नाम से जाना जाता था और इस प्रकार, वे अनुसूचित जाति भी बन गए।

19. आगे प्रस्तुतिकरण यह है कि उसके और उसकी बहन के सभी शैक्षिक दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि वे अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित हैं। आगे निवेदन यह है कि उसका पति उसी जाति का है जो उसकी माँ का है।

20. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का निवेदन है कि इन सभी कारकों प्रश्नगत नहीं रखा गया था जब 'आयोग' द्वारा उन्हें *'मुखिया'* के पद से अयोग्य घोषित करने का आदेश पारित किया गया था और आगे जिला मजिस्ट्रेट/दंडाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया को उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का निर्देश दिया गया था।

21. अंतिम निवेदन यह है कि 'आयोग' जिला मजिस्ट्रेट/दंडाधिकारी को उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए कदम उठाने का निर्देश नहीं दे सकता था।

22. इसके विपरीत, 'आयोग' की ओर से उपस्थित विद्वान वकील/अधिवक्ता, श्री संजीव निकेश ने प्रस्तुत किया कि एक बार याचिकाकर्ता की जाति के संबंध में की गई जांच के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट/दंडाधिकारी, पश्चिम चंपारण की रिपोर्ट/प्रतिवेदन 'आयोग' के पास थी; यह कर्तव्य था कि वह कानून के अनुसार कार्य करे और चूंकि उक्त समिति का निष्कर्ष था कि वह अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित नहीं है, आयोग ने 2017 की शिकायत संख्या 65 दिनांक 08.01.2018 (अनुलग्नक-8) के माध्यम से सूचित आदेश को सही ढंग से पारित किया।

23. वह आगे प्रस्तुत करता है कि **कुमारी माधवी केपिटल बनाम अतिरिक्त आयुक्त (1994) 6 एसएससी 241** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के निर्णय के अनुसार अब सामान्य प्रशासन विभाग के तहत राज्य सरकार ने एक जाति जांच समिति का गठन किया है और याचिकाकर्ता को इसके समक्ष जाने और उक्त समिति द्वारा अपनी जाति घोषित कराने की सलाह दी जाती है। वह यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकालता है कि निष्कर्ष में कोई कमजोरी नहीं है और रिट याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

24. राज्य ने 'आयोग' के लिए विद्वान वकील/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को भी प्रतिध्वनित किया है और आगे प्रस्तुत किया है कि यह दिखाने के लिए निर्विवाद प्रमाण हैं कि याचिकाकर्ता के पिता 'थारू' जाति से हैं जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आती है और इस प्रकार, उसकी जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। इस प्रकार, वह उस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती थीं जो अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित थी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 9 की शिकायत पर जब जांच समिति उक्त निष्कर्ष पर पहुंची, तो 'चुनाव आयोग' प्रश्नगत आदेश पारित करने में पूरी तरह से उचित था। उन्होंने प्रस्तुतिकरण द्वारा निष्कर्ष निकाला की रिट याचिका खारिज कर दी जाए।

25. श्री विजय कुमार सिंह प्रथम, प्रत्यर्थी सं 9 की ओर से प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है, गलत तरीके से अनुसूचित जाति सीट पर चुनाव लड़ा और इस तरह उसने 'आयोग' के समक्ष सही तरीके से शिकायत की, जिसने जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के बाद संबंधित पक्षों को सुना और आदेश पारित किया जो पूरी तरह से उचित है और रिट याचिका खारिज करने के लिए उपयुक्त है।

26. पक्षकारों को विस्तार से सुनने के बाद, यह न्यायालय 'आयोग' और राज्य के लिए विद्वान वकील/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत दलीलों में बल पाता है।

27. स्वीकार किया गया तथ्य यह है किः

(i) याचिकाकर्ता के पिता, बुधाई महतो 'थारू' जाति से हैं जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आती है;

(ii) उसने इंदु देवी (याचिकाकर्ता की माँ) से शादी की, जो अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत आने वाली जाति से संबंधित है।

(iii) हालाँकि, तथ्य यह है कि जब उनके पिता एक अनुसूचित जनजाति थे, तब दंपति के दो बच्चे महतो) स्वाभाविक रूप से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आएगा क्योंकि बच्चों की जाति उसके पिता की जाति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(iv) याचिकाकर्ता का केवल यह तर्क कि केवल इसलिए कि उसके पिता अनुसूचित जाति कॉलोनी में उसकी माँ के साथ रहते थे, उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में माना जाना चाहिए, और कुछ नहीं बल्कि मन की एक कल्पना है जो अस्वीकार करने के लिए उपयुक्त है।

(v) आगे चूंकि वह अपने पिता के 'थारू' जाति होने के कारण अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत 'थारू' जाति से संबंधित है, इसलिए वह उस सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की हकदार नहीं थी जो अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है;

(vi) प्रत्यर्थी सं 9 ने 'चुनाव आयोग' के समक्ष इसका विरोध किया;

(vii) 'आयोग' ने बदले में जिला प्रशासन से जांच रिपोर्ट/प्रतिवेदन मांगी;

(viii) एक बार जब जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट प्रदान की, तो 'आयोग' ने मामले को अपने हाथ में लिया और याचिकाकर्ता सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद और इस बात से संतुष्ट होकर कि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से ताल्लुक रखती है और इस प्रकार वह अनुसूचित जाति की महिला सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती थी, प्रश्नगत आदेश पारित किया।

(ix) यह पूरी तरह से उचित न्याय संगत है।

28. इसके अलावा, 'आयोग' के विद्वान वकील/अधिवक्ता द्वारा यह अधिकार प्रस्तुत किया गया है कि जाति जांच समिति के गठन के अनुसार, याचिकाकर्ता को उसके समक्ष जाने और उक्त समिति से अपनी जाति घोषित कराने की स्वतंत्रता है।

29. अदालत के सुविचारित विचार में, जाति जांच समिति को बायपास करने के लिए चुनने के बाद, याचिकाकर्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि रिट कोर्ट/न्यायालय उसके बचाव में आएगा, जब यह साबित करने के लिए निर्विवाद सबूत हैं कि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत 'थारू' जाति से संबंधित है, क्योंकि वह बुधाई महतो की बेटी है, जो निश्चित रूप से एक 'थारू' जाति (अनुसूचित जनजाति श्रेणी) है।

30. इसके अलावा इस न्यायालय की एक पीठ (माननीय न्यायमूर्ति श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, उस समय उनके अधिपति के रूप में) 2016 की **सी.डब्ल्यू. जे. सी. सं. 12879 (श्री देवी बनाम बिहार राज्य और अन्य** ने एक संबंधित विषय में अभिनिर्धारित किया कि चुनाव लड़ना एक वैधानिक अधिकार है और एक बार कानून के तहत, एक सीट एक विशेष श्रेणी/जाति के लिए आरक्षित है, केवल ऐसी श्रेणी/जाति से संबंधित व्यक्ति को ही ऐसा चुनाव लड़ने का अधिकार है।

31. यह न्यायालय अभिलेख पर रखना चाहेगा कि **श्री देवी बनाम राज्य (उपरोक्त)** में किया गया अवलोकन जो इस प्रकार है

> *"प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत की राय में, हालांकि जिला मजिस्ट्रेट/दंडाधिकारी नालंदा का दिनांक 26.07.2016 का आदेश दिनांकित 15.07.2016 की एक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसकी प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई होगी, लेकिन बाद में चर्चा किए जाने वाले विभिन्न कारणों से, अदालत मामले में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं कर सकती थी। सबसे पहले, चुनाव लड़ने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और एक बार कानून के तहत, एक सीट एक विशेष श्रेणी/जाति के लिए आरक्षित है, केवल ऐसी श्रेणी/जाति से संबंधित व्यक्ति को ही ऐसा चुनाव लड़ने का अधिकार है। वर्तमान मामले में, सीट अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित थी। इस प्रकार, जब तक कि याचिकाकर्ता ऐसी श्रेणी से संबंधित नहीं है, उसे चुनाव लड़ने का भी कोई अधिकार नहीं था। जाति के निर्धारण*

के संबंध में कानून भी तय किया जाता है, जहां संबंधित व्यक्ति की जाति उसके जन्म पर आधारित होती है न कि उस परिवार पर जिससे वह विवाहित हो सकता है। वर्तमान मामले में, जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कानून की आवश्यकता यह है कि याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि उसने तेली जाति के परिवार में जन्म लिया है। अपने पति की जाति के आधार पर उसके द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र, जो एक तेली हो सकता है, इस बात का निश्चित प्रमाण नहीं है कि याचिकाकर्ता भी तेली जाति से संबंधित है। उसे स्वीकार कर लिया गया क्योंकि उसने नालंदा जिले से प्राप्त एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जो स्वयं उसके पति को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र पर आधारित था, और उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी और जीतने पर उसे ऐसा प्रमाण पत्र भी दिया गया था और इस प्रकार वह मुखिया का पद धारण कर रही है। हालाँकि, कानून यह भी माँग करता है कि जब कोई विवाद या शिकायत की जाती है, तो इस मुद्दे का निर्णय माता-पिता के पक्ष के अनुसार किसी व्यक्ति की जाति के निर्धारण के आधार पर किया जाएगा। वर्तमान मामले में, शुरू में, अनुमंडल अधिकारी, हिल्सा की एक रिपोर्ट थी, जो विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज करने वाली क्षेत्रीय जांच पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट/प्रतिवेदन है, जिनसे पूछताछ की गई थी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि याचिकाकर्ता की शादी अंतर-जातीय विवाह में हुई थी और वह लखन महतो की बेटी थी, जो कुशवाहा जाति से थी, जो पिछड़े वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा, इस अदालत के दिनांक 04.02.2017 के आदेश के अनुसार, अनुमंडल अधिकारी, सदर, गया के नेतृत्व में पांच अधिकारियों की एक टीम द्वारा एक जांच की गई, जिसमें मुखिया सहित विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए गए और याचिकाकर्ता के तथाकथित भाई, दीपक कुमार से भी पूछताछ की गई और उसके बाद दीपक कुमार के पिता यानी लक्ष्मण प्रसाद को जांच में उपस्थित होने के लिए कहा गया, और दो तारीखें तय की गईं और उनसे साक्षात्कार करने का प्रयास किया गया, वह उपलब्ध नहीं थे और वास्तव में अपने घर को बंद कर दिया था और पूरा परिवार बाहर चला गया था। यहां तक कि स्थानीय मुखिया की रिपोर्ट, जिन्होंने शुरू में याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश की थी, में कहा गया है कि केवल लक्ष्मण प्रसाद द्वारा उन्हें जो बताया गया था,

उसके आधार पर उन्होंने सिफारिश की थी, लेकिन बाद में, उन्हें इस बात से अवगत कराया गया कि लक्ष्मण प्रसाद के दावे कि उनकी पहली पत्नी दाहा देवी थी, जो याचिकाकर्ता की मां हैं, संदेहपूर्ण प्रतीत होता है। इसके अलावा, लक्ष्मण प्रसाद को लगभग 15-20 साल से जानने वाले गवाहों ने कहा है कि उन्होंने याचिकाकर्ता या उसकी मां के बारे में पहले कभी नहीं सुना या नहीं देखा था। इसके अलावा, अनुमंडल अधिकारी, टेकरी, गया द्वारा भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें ग्रामीणों के बयान दर्ज करने के बाद की गई जांच के आधार पर यह भी कहा गया है कि लक्ष्मण साव (प्रसाद) स्वर्गीय जेथन साव का पुत्र था, जिसकी दो पत्नियां थीं और आगे कहा गया है कि लक्ष्मण साव (प्रसाद) ने कभी दो बार शादी नहीं की थी। इस प्रकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दीपक कुमार, जिसे याचिकाकर्ता सौतेला भाई होने का दावा करता है, ने कहा था कि उसकी माँ से छह बहनें और दो बेटे थे और उसकी माँ याचिकाकर्ता की माँ नहीं थी, यह सबूत कि लक्ष्मण साव (प्रसाद) की कोई दूसरी पत्नी नहीं थी, याचिकाकर्ता के दावे को कायम नहीं रखा जा सकता है। अदालत को मामले में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए राजी करने का कारण मुख्य रूप से प्रतिवादी नं. 5 उनके जवाबी हलफनामे में, जिसकी प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान वकील/अधिवक्ता को 23.02.2017 को ही दी गई थी। हालाँकि, आज तक, इसका कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है और इस प्रकार, बताए गए तथ्य और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज़ की प्रतियाँ, जिनका विरोध नहीं किया गया है, स्वीकार की जाती हैं।

इस मामले पर समग्रता से विचार करने के बाद, यह दिखाने के लिए भारी सबूतों को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता लखन महतो की बेटी है, न कि लक्ष्मण प्रसाद और लखन महतो की, जो कुशवाहा जाति से संबंधित हैं, जो पिछड़ी जाति के अंतर्गत आती है और याचिकाकर्ता खुद को तेली होने का दावा करता है, जो अत्यंत पिछड़ी जाति श्रेणी के अंतर्गत आती है, यह अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता अपने आचरण में निष्पक्ष और स्वच्छ नहीं रही है। दूसरा पहलू जो याचिकाकर्ता के आचरण के खिलाफ भी जाता है, वह यह है कि एक बार जनवरी, 2016 में नालंदा जिले में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, उसने फिर से आवेदन किया और गया जिले में '05.07.2016' पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त

किया और उसके तीन महीने बाद, यानी '13.10.2016' पर, फिर से गया जिले से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया, हालांकि एक अलग ब्लॉक से, याचिकाकर्ता द्वारा एक के बाद एक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का बार-बार प्रयास करना यह भी इंगित करता है कि याचिकाकर्ता उस जाति से संबंधित नहीं है, जिसके लिए वह दावा करती है, यानी तेली। न्यायालय प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह इंगित करने के लिए अत्यधिक स्वीकार्य रिकॉर्ड हैं कि याचिकाकर्ता की जाति तेली नहीं बल्कि कुशवाहा है, विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता मुखिया के पद पर बना रहेगा, जो अत्यधिक पिछड़ी जाति श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित था, जिससे याचिकाकर्ता संबंधित नहीं लगता है।

उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय वर्तमान मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण विशेषाधिकार रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

दिनांकित 04.02.2017 आदेश के तहत दी गई रोक रद्द की जाती है।

32. पीड़ित, उक्त रिट याचिकाकर्ता, **श्री देवी** ने **2017 का एल. पी. ए. 703** और खंड पीठ के दिनांकित **08.05.2017** आदेश ने रिट कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया जो इस प्रकार हैः

"पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के मामले में रिट कोर्ट/न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग नहीं की गई थी और विद्वान रिट कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है क्योंकि यह एक जांच में दर्ज तथ्य के निष्कर्ष पर आधारित था।

अब याचिकाकर्ता की सामाजिक स्थिति के संबंध में, यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है, तो याचिकाकर्ता को मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित जाति जांच समिति के समक्ष इस मुद्दे को उठाना

*चाहिए। **कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त जनजातीय विकास और अन्य (1994) 6 एस. सी. सी. 241** और मामले में यदि याचिकाकर्ता एक शिकायत उठाता है या जांच समिति के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर करता है, जांच समिति याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगी और एक महीने की अवधि के भीतर सभी संबंधित लोगों को सुनने के बाद कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की सामाजिक स्थिति निर्धारित करेगी।*

इसके अलावा याचिकाकर्ता द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से इस मामले में आगे बढ़ने से प्रार्थना की गई। इस स्तर पर विचार नहीं कर सकता है क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही इस मामले को बंद कर दिया है और ग्राम पंचायत राज अधिनियम की धारा 136 (2) के तहत उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने के बाद याचिकाकर्ता की कार्रवाई का कारण सामने आएगा। इस स्तर पर, इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि जाति जांच समिति द्वारा अनुकूल निर्णय लिया जाता है, तो याचिकाकर्ता को पुनर्विचार के लिए राज्य चुनाव आयोग से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी।

उपरोक्त टिप्पणियों और स्वतंत्रता के साथ याचिकाकर्ता के लिए अपील का निपटारा किया जाता है। "

33. इस प्रकार खंड पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिकायत के मामले में याचिकाकर्ता जाति जांच समिति के समक्ष जा सकता है।

34. 'आयोग' और राज्य द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों और अभिलेख पर तथ्यों/दस्तावेजों से आश्वस्त होने के बाद, इस न्यायालय को याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

35. यदि याचिकाकर्ता को ऐसी सलाह दी जाती है, तो उसके पास हमेशा उसकी जाति की घोषणा के लिए जाति जांच समिति से संपर्क करने की स्वतंत्रता और परिणाम स्वतः ही सामने आ जाएंगे। हालांकि, जब तक जाति जांच समिति कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक जिला प्रशासन (जिसके कारण 'आयोग' ने आदेश पारित किया) द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट कायम रहेगी।

36. रिट आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

जगदीश/किरण/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।